न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

[पी]ठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

[वाद सं.] 35/2019
[आर]एमएस : 2019/00075

1. अमृतपाल सिंह पुत्र रणजोध सिंह जाति जटसिख निवारी 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. सन्दीप सिंह पुत्र रणजोध सिंह जाति जटसिख निवारी 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–:वादीगण

बनाम

1. रणजोध सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवारी 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–:प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88–92ए–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

[उप]स्थिति :–

1. श्री मनिन्द्र कुमार, वकील वादीगण
2. श्री महेन्द्र चांवरिया, प्रतिवादी सं. 1

–: निर्णय :–

दिनांक : 31.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन [कि]या कि वादीगण का प्रतिवादी सं. 1 पिता हैं। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 को पैतृक सम्पति [मे]ं से चक 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 122 मु.नं. 108 प.नं. 113/285 के कि.नं. [3] ता 8, 13 ता 15 कुल 2.277है. बारानी खातेदारी भूमि तथा चक 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर [क]ा खाता सं. 123 मु.नं. 38 प.नं. 115/278 में 1.043है. बारानी मय खाला प्राप्त हुई है व उक्त भूमि [प]र जन्म से ही वादीगण का हक एवं हिस्सा होने के कारण उक्त भूमि को मौखिक घरेलू बंटवारा में [व]ादीगण को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दे दिया था। चक 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. [1]23 मु.नं. 70 प.नं. 111/281 में 3.503है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि और प्रतिवादी सं. 1 के नाम से हैं जिसको प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने गुजारा हेतु स्वयं अपने पास रखी। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा मौखिक बंटवारा में वादीगण को चक 14 एमएल के खाता सं. 122 मु.नं. 108 के कि.नं. 3 ता 8 सालम सालम व कि.नं. 13 ता 15 सालम सालम कुल 2.277है. बारानी व खाता सं. 123 में दर्ज मु.नं. 38 प.नं. 115/278 की 1.043है. दोनों खातों की कुल 3.320है. बारानी मय खाला खातेदारी भूमि ब.हि.ब. दी हुई हैं जिस पर हम वादीगण लगातार साधिकार काबिज चले आ रहे हैं। तथा उक्त भूमि पर वादीगण अपना हक एवं हिस्सा घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अमलदरामद करवा पाने के विधिक अधिकारी हैं। वादीगण मुताबिक घरेलू बंटवारा उक्त रकबा वादीगण के नाम से अमल दरामद करवाने हेतु प्रतिवादी सं. 1 को लगातार कहते आ रहे हैं लेकिन प्रतिवादी सं. 1 हमेशा आज कल कर समय व्यतीत करता [रहा। वादीगण] द्वारा दिनांक 20.03.2019 को बमुकाम चक 14 एमएल में जाति के लोगों की पंचायत इकट्ठी की [...] क एवं हिस्सा की भूमि में घरेलू बंटवारा में दी गयी उक्त भमि का अ[मलदरामद ...] [...]कर कहा तो प्रति0 सं. 1 ने कहा कि वादीगण को ही इसकी आवश्यक[ता] है तथा वादीगण [...] [...]र कार्यवाही कर उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवा लेवे एवं सहभागी हेतु इन्कार कर दिया। वाद वादी स्वीकार कर चक 14 एमएल के खाता सं. 122 मु.नं. [108] के कि.नं. 3 ता 8 सालम सा[लम] व कि.नं. 13 ता 15 सालम सालम कुल 2.277है. बारानी व खाता सं. 123 में दर्ज मु.नं. 38 [प.नं.] 115/278 की 1.043है. दोनों खातों की कुल 3.320है. बारानी मय खाला खातेदारी भूमि ब.हि.ब

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:30:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

...बिक घरेलू मौखिक बंटवारा अनुसार हक व हिस्सा घोषित फरमाया जाकर डिक्री पारित करने इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने ...ब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के कथनानुसर चक 14 एमएल के खाता सं. 122 ...नं. 108 के कि.नं. 3 ता 8 सालम सालम व कि.नं. 13 ता 15 सालम सालम कुल 2.277है. बारानी खाता सं. 123 में दर्ज मु.नं. 38 प.नं. 115/278 की 1.043है. दोनों खातों की कुल 3.320है. बारानी ...व खाला खातेदारी भूमि ब.हि.ब मुताबिक घरेलू मौखिक बंटवारा अनुसार हक व हिस्सा घोषित ...रमाया जाता हैं तो प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं हैं। जवाब सरकार पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष के निवेदन करने एवं प्रतिवादी की ओर से इकबाल दावा प्रस्तुत किया जाने ...के कारण तनकीयात कायम नहीं की गयी। वादी की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र सन्दीप सिंह का ...पेश हुआ। जिस पर जिरह पूर्ण की गयी। वादी की ओर से साक्ष्य में जमाबंदी चक 14 एमएल खाता सं. 122, जमाबंदी चक 14 एमएल खाता सं. 123, प्रति इंतकाल चक 14 एमएल नं. 357, 598 व ...10 तथा सरपंच ग्राम पंचायत उडसर का प्रमाण पत्र दिनांक 22.02.2021 दस्तावेज प्रदर्श करवाए गये।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने अपनी बहस में वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा अपने पिता की भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि की मांग की हैं। जिस पर प्रतिवादी सं. 1 ने सहमति जताई हैं। वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श 7 प्रमाण पत्र सरपंच ग्रा.पं. उडसर का प्रमाण पत्र दिनांक 22.02.2021 के अनुसार रणजोध सिंह के दो पुत्र अमृतपाल सिंह व सन्दीप सिंह हैं। रणजोध सिंह की ये दनों संतार इनकी जायज एवं कानूनी वारिसान हैं। इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं हैं। प्रदर्श -6 शपथ पत्र रणजोध सिंह अनुसार अमृतपालसिंह व सन्दीपसिंह पितसरान रणजोधसिंह हैं। जो मिकर रणजोधसिंह के जायज व कानूनी वारिस हैं। उपरोक्त दोनों जीवित संतान ही जायज एवं कानूनी वारिसान हैं। इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं हैं। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण के वाद की मदों को स्वीकारते हुए घरेलू बंटवारा अनुसार वादपत्र वादीगण स्वीकार करने हेतु निवेदन किया हैं। ऐसी स्थिति में वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाता हैं एवं प्रतिवादी सं. 1 रणजोध सिंह के नाम से दर्ज चक 14 एमएल तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 122 के मु.नं. 108 के कि.नं. 3 ता 8 की 1.518हैं., 13 ता 15 की 0.759है. कुल 2.277हैं. बारानी एवं इसी चक के खाता सं. 123 के मु.नं. 38 प.नं. 115/278 के कि.नं. 1/2 की 0.158, 2-3 प्रत्येक 0.253, 4/2 की 0.101, 5/2 की 0.013, 9/1 की 0.101 व 10/2 की 0.164 कुल 1.043है. बारानी मय खाला भूमि का वादीगण अमृतपाल सिंह व सन्दीप सिंह प्रत्येक 1/2-1/2 ब.हि.ब. का खातेदार घोषित किया जाता हैं। अतः राजस्व रिकार्ड में वादीगण की खातेदारी भूमि का अलग खाता में संयुक्त रूप से अमलदरामद किया जावे।

यदि भूमि बैंक के रहन दर्ज हो तो भूमि के रहनपुत्त [illegible] आदेश की पालना की जावे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक [illegible] को लिखा [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:00:25 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner